नवभारत टाइम्स

फूड बिजनेस को मिलेगी 'इंस्पेक्टर राज' से आजादी

प्रमोद राय

Sep 11, 2018, 09:00AM IST

नई दिल्ली

खाद्य कारोबारी अब थर्ड पार्टी एजेंसियों से अपने बिजनेस की फूड सेफ्टी ऑडिटिंग कराकर सरकारी जांच और छानबीन से बहुत हद तक मुक्ति पा सकते हैं। 22 ऑडिटिंग एजेंसियों को मान्यता दे चुकी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने अब फूड सेफ्टी ऑडिटिंग रेगुलेशंस-2018 को नोटिफाई कर दिया है। जल्द ही अथॉरिटी सेहत को जोखिम हो सकने के आधार पर सभी तरह के खाद्य कारोबार की अलग-अलग कैटेगरी बनाएगी। ऑडिटिंग की अनिवार्यता वाले कारोबार के अलावा अन्य यूनिटें भी स्वेच्छा से ऑडिट कराकर कई तरह की जांच और अनुपालन का बोझ घटा सकेंगी।

FSSAI के एक अधिकारी ने बताया कि हमने 22 ऑडिटिंग एजेंसियों को पहले ही प्रोविजनल मान्यता दे दी है। इनमें डीएनवी, ब्यूरो वेरीटास, इंटरटेक, एमएस सर्टिफिकेशन, इंडोसर्ट, एसजीएस, बीआईएस, टीयूवी जैसी इंटरनेशनल एजेंसियां शामिल हैं। अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड (फूड सेफ्टी ऑडिटिंग) रेगुलेशंस-2018 नोटिफाई होने के बाद शर्तों को पूरा करने वाली एजेंसियां मान्यता के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ये

एजेंसियां FSSAI के साथ मिलकर काम करेंगी और फूड बिजनेस का ऑडिट कर सकेंगी।

इन पैमानों पर होगा वर्गीकरण

उन्होंने बताया कि अथॉरिटी जल्द ही सभी फूड बिजनेस को हेल्थ रिस्क के आधार पर वर्गीकृत करेगी कि कौन सा कारोबार अनिवार्य ऑडिटिंग के दायरे में आता है। वर्गीकरण करीब आधा दर्जन पैमानों पर किया जाएगा। मसलन, खाद्य पदार्थ किस तरह का है या उसका सेवन किस आयु वर्ग के लोग करेंगे, उसकी निर्माण प्रक्रिया या प्रोसेसिंग किस तरह की है। मसलन बच्चों के दूध या आम तौर पर सीधे उपभोग किए जाने वाले पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को हाई रिस्क कैटेगरी में रखते हुए उनके लिए ऑडिटिंग अनिवार्य की जाएगी।

घट सकती है छानबीन की फ्रीक्वेंसी

कारोबारी अपने प्रॉडक्ट पर ऑडिट रिपोर्ट या रेटिंग का जिक्र करते हुए जहां अपनी बिजनेस इमेज बेहतर कर सकेंगे, वहीं उन्हें कई तरह के इंस्पेक्शन से नहीं गुजरना होगा। ऑडिट एजेंसियों का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई खाद्य कारोबारी एफएसएसएआई रेगुलेशंस 2011 के तहत अनुपालन कर रहा है या नहीं। वह फूड बिजनेस के सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की पड़ताल करेगा। ऑडिट एजेंसी की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर अथॉरिटी तय करेगी कि किसी फर्म की जांच पड़ताल की कितनी जरूरत है। अगर किसी खाद्य कारोबारी की ऑडिट रिपोर्ट संतोषजनक है तो उसकी छानबीन या जांच-पड़ताल की फ्रीक्वेंसी काफी कम हो जाएगी। ऑडिट की अनिवार्यता से मुक्त रखी गई कंपनियां या कारोबारी भी चाहें तो मान्यता प्राप्त एजेंसियों से ऑडिट कराकर अपने कंप्लायंस घटा सकते हैं। ये ऑडिट एजेंसियां कैटरिंग फर्मों की रेटिंग भी तैयार करेंगी, जो एफएसएसएआई हाईजीन रेटिंग के नॉर्म्स के मुताबिक होगा।